न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म. प्र.)

निगरानी 54-II-15

सुगनबाई स्वर्गीय पति भंवरलाल, जाति माली,

निवासी ग्राम बड़ियागोयल हाल मुकाम-जावरा :-- प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

1--सत्यनारायण पिता मोडीराम पोरवाल

निवासी बजाजखाना जावरा कृषक बड़ियागोयल

2--लक्ष्मण उर्फ लच्छीराम मृतक वारिसान-

(1) लीलाबाई स्व. पति लच्छीराम माली

निवासी बड़ियागोयल तहसील जावरा

(2) मंजुबाई पति सिद्दुलाल माली पिता स्व. लच्छीराम

(0) नि. डाक बंगले के पिछे महिदपुर रोड, तह. महिदपुर
जिला उज्जैन म. प्र.

(3) संगीताबाई पति वरदीचन्द्र माली

निवासी ताल तहसील आलोट जिला रतलाम म. प्र.

--- प्रतिप्रार्थीगण/
प्रत्यर्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भु. रा. सं. 1959

निगरानी बनाराजगी न्यायालयश्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय जावरा के न्यायालयीन प्र. क्रं. 29अपील/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 27-12-14 से असंतुष्ट होकर ।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है :-

(निगरानी के आधार)

1-- यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 27-12-14 विधि विधान के विपरित होने से निरस्ती योग्य है ।

2-- यह कि, ग्राम बड़ियागोयल स्थित विवादित कृषि भुमि सर्वे क्रमांक 205, 241 332, 335 कुल रकबा 0.91 आरी भुमि जो कि प्रार्थीया के ससुर के नाम से स्थित होकर बिना किसी वैध आवश्यकता के प्रतिप्रार्थी क्रमांक-1 से दुरभि संधि कर दिखावटी विक्रयपत्र सम्पादित करा दिया है और इस भुमि पर कब्जा प्रार्थीया का चला आ रहा है इस संबंध मे प्रार्थीया ने अधिनस्थन्यायालय मे इस आशय का आवेदन दिया कि स्वत्व का प्रश्न माननीय अपर जिला जज महोदय जावरा के न्यायालय में प्रस्तुत दिवानी प्रकरण क्रमांक-

निरंतर--2

R 54-II/15

28-12-15	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित उनके द्वारा not press का आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत not press के आवेदन पर स्वीकार करते हुये प्रकरण खारिज या समाप्त किया जाता है। प्रकरण नि. हो। सदस्य